

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

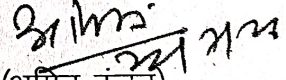
ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-210/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मंसुरचक-सह-अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-1233 दिनांक-30.06.2026 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-039/2026 दिनांक-01.04.2026, धारा-7(a)/7(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं BNS की धारा-61(2) दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा-दल द्वारा दिनांक-02.04.2026 को परिवादी श्री पप्पू पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से 12,000/- (बारह हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तथा उनका कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका-3 के प्रतिकूल होने जैसे आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित मामला सरकारी पद का दुरुपयोग कर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है, जो अत्यन्त गंभीर/घोर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री सिंह के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मद्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-210/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मंसुरचक-सह-अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया) से अपेक्षा की जाती है कि पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें।

3. श्री सिंह को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मद्दों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।


(अमित रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-प्र08-गो0आ0(बेगूसराय)-09/2026 4221 खाद्य, पटना/दिनांक-22/07/2026

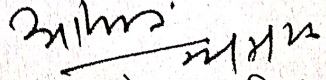
प्रतिलिपि-1. आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

4. आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-210/2024), निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, (निलंबन अवधि में मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया), मोबाईल संख्या-9113152627, E-Mail : s.k.shilendra123@gmail.com को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0-यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।